ARYAVART SHODH VIKAS PATRIKA
RNI TITLED NO. UPBIL04292
RNI REG. NO. UPBIL/2014/66218 PP. NO.- 409-410
ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-13, No.-II, Issues-17, YEAR- Sept. -2020

शिक्षिकाओं के बदलतें पारिवरिक मूल्य

संयुक्ता कुमारी
एम0ए0, पी–एच0डी0 समाजशास्त्र, मगध विश्वविद्यालय, बोध गया (बिहार) भारत।

Received- 07.08.2020, Revised- 11.08.2020, Accepted - 13.08.2020 E-mail: dr.ramnyadav@gmail-com

सारांश : ***मानव–समाज का इतिहास परिवार का ही इतिहास है, क्योंकि मानव–जीवन के प्रारम्भ से ही परिवार उसके साथ है और किसी–न–किसी रूप में यह सांस्कृतिक विकास सभी स्तरों पर पाया जाता है। इतना ही नहीं, श्री चार्ल्स कूले ने भी परिवार को एक ऐसा प्राथमिक समूह माना है, जिसमें बच्चे के सामाजिक जीवन व आदर्शों का निर्माण होता है। इस रूप में परिवार व्यक्ति के समाजीकरण का एक प्रमुख साधन भी है। एक बच्चा किसी न किसी परिवार में ही जन्म लेता है और जीवन–पर्यन्त परिवार ही उसमें सामाजिक गुणों का विकास करके उसके व्यक्तित्व को समाज के अनुरूप ढ़ालता है। परिवार ही उसे समाज में प्रचलित आचार–विचार, रीति–नीति, आदर्श और विश्वासों से परिचित कराता है और समाज में माने जाने वाले नियमों का ज्ञान एवं पालन करवाता है। शायद कहने की आवश्यकता नहीं कि इस रूप में परिवार सामाजिक नियन्त्रण के एक महत्वपूर्ण साधन का पार्ट अदा करता है। परन्तु इसके पूर्व कि इस विषय में विस्तृत अध्ययन किया जाए, परिवार का अर्थ, विशेषताएँ एवं कार्यों आदि की विवेचना असंगत न होगी।***

कुंजीभूत शब्द– मानव–समाज, इतिहास, मानवजीवन, सांस्कृतिक विकास, प्राथमिक समूह, सामाजीकरण, आदर्श।

परिवार टूट रहा है। पर इस प्रकार का कोई भी विचार अवैज्ञानिक है। परिवार सामाजिक जीवन का मूलाधार है। इस कारण जब तक समाज है तब तक परिवार रहेगा और रहता आया है। यदि समाज मिट जाए तब तो परिवार का भी अन्य सम्भव है, अन्यथा नहीं। औद्योगिक क्रांति के बाद हमारी सभ्यता और संस्कृति में, आचार प्रथा, परम्परा, धर्म, रीति–रिवाज सबकुछ में क्रांतिकारी परिवर्तन हो गया है। इस प्रकार सामाजिक जीवन का प्रत्येक अंग, आज नवीनता की ओर तेजी से बढ़ता जा रहा है। चूंकि अवस्थाओं के साथ अपना अनुकूलन करना होगा। जिसे हम पारिवारिक विघटन नहीं बल्कि आधुनिक नवीन परिस्थितियों से परिवार द्वारा अनुकूलन की प्रक्रिया का ही एक आवश्यक अंग है। मानव–इतिहास इस बात का साक्षी है कि परिवार नामक एक संस्था एक बहुत ही अनुकूलनशील संस्था है और इसीलिये मानव–इतिहास के सभी उत्थान–पतन के बीच भी वह अमर है। आदिकाल से ही मानव–जीवन से घनिष्ठ रूप में सम्बन्धित है। बदलती हुई दशाओं का अनुकूलन करने के इस लम्बे इतिहास और इसके स्नेह, प्रीति व प्रेम देने के कार्य के महत्व को देखते हुए यह भविष्यवाणी करना सुरक्षित है कि परिवार जीवित रहेगा–व्यक्तिगत सन्तोष और व्यक्तित्व के विकास में देता और लेता रहेगा।

समाज द्वारा मान्यता प्राप्त तरीके से स्त्री–पुरूष की यौन–सम्बन्धी आवश्यकता की पूर्ति के लिये, उसे एक निश्चित ढंग से नियन्त्रित करने तथा स्थिर रखने और परिवार को स्थायी रूप देने के लिए विवाह की संस्था का जन्म हुआ है। विवाह वह आधार है जो घर बसाता है और बच्चों को जन्म व पालन–पोषण तथा आर्थिक सहकारिता व सामाजिक उत्तरदायित्व की नींव को बनाता है। व्यक्तिगत दृष्टिकोण से विवाह की आवश्यकता यौन–सम्बन्धी इच्छाओं की पूर्ति सन्तान–प्राप्ति की स्वाभाविक इच्छा की पूर्ति तथा शरीर का स्वस्थ निर्वाह और मानसिक शान्ति प्राप्त करने के लिए हैं। पति–पत्नि एक–दूसरे से प्रेम करते हैं और दोनों ही मिलकर अपने समस्त स्नेह की सन्तानों को अर्पित करते हैं, जिसके फलस्वरूप सन्तान का पालन–पोषण होता है और परिवार और समाज की निरन्तरता बनी रहती है। इसीलिये कहा गया है कि सामाजिक दृष्टिकोण से विवाह का महत्व बच्चों को जन्म देना और उसके द्वारा समाज की निरन्तरता को कायम रखना है। इसीलिए विवाह नामक संस्था किसी समाज में न हो, ऐसा काई उदाहरण दुनिया के किसी कोने से अनेक छानबीन तथा अन्वेषण के बाद भी न मिल सका; यद्यपि विवाह का स्वरूप, विवाह–सम्बन्ध स्थापित करने के तरीकों में पर्याप्त भिन्नता विभिन्न समाजों में पाई जाती है। इसी कारण यह विषय समाजशास्त्र का एक अध्ययन–विषय बन गया।

प्रस्तुत अध्ययन में महाविद्यालयीन शिक्षिकाओं के पारिवारिक एवं वैवाहिक मूल्यों का विश्लेषण किया गया हे, जिससे उनके दहेज, तलाक, विवाह की आयु, संयुक्त परिवार, जीवन साथी के प्रति दृष्टिकोण, पारिवारिक निर्णयों में राय, विवाहोपरान्त नवदम्पत्ति द्वारा अलग घर बसाना, परिवारों में बढ़ता तनाव, परम्परागत मूल्यों में परिवर्तन होना, विवाह की बदलती हुई अवधारणा, जीवन साथी के प्रति दृष्टिकोण तथा परिवार एवं विवाह के मूल्यों में हो परिवर्तन

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-13, No.-II, Issues-17, YEAR- Sept. -2020

इन मूल्यों का प्रभाव, इनका औचित्य और इनसे जुड़े अनेक प्रश्नों के उत्तरों को विश्लेषण एवं निर्वचन किया गया है, ताकि परिवार एवं विवाह में हो रहे मूल्यों के परिवर्तनों को उच्च शिक्षा से जुड़े शिक्षिकाओं क्या दृष्टिकोण रखते हैं यह जाना जा सके।

परिणाम– अधिकांश शिक्षिकाएँ संयुक्त परिवार की उपयोगिता को स्वीकार करते हैं। इसकी उपयोगिता के अनेक कारणों की चर्चा शिक्षिकाओं ने की है जैसे–सदस्यों की उचित देखभाल, बच्चों के पालन–पोषण की समस्या नहीं, सुरक्षा की भावना, पारिवारिक बीमा, बुजुर्गों का संरक्षण सम्मिलित हे। जो शिक्षिकाएँ संयुक्त परिवार को अनुपयोगी बताते हैं, वे इसके अनेक कारणों जैसे द्वेष एवं कलह का केन्द्र, एकान्त का अभाव, व्यक्ति के विकास में बाधक, कमाने वाले पर अनावश्यक दबाव आदि सम्मिलित हैं। अधिकांश शिक्षिकाएँ स्त्री–पुरूष के समान अधिकार के पक्षधार हैं। शिक्षिकाओं के पति गृह कार्य में कभी–कभी हाथ बँटाते हैं। पारिवारिक निर्णयों में परिवार के सदस्य मिल–जुलकर निर्णय लेते हैं। वृद्ध सदस्यों का पारिवारिक मामलों में हस्तक्षेप होता है। हस्तक्षेप आवश्यकतानुसार किया जाता हे। शिक्षिकाओं का कथन है कि नव–दम्पत्ति का अलग घर बसाना अनुचित है। शिक्षिकाओं ने कहा कि बच्चों को अनुशासित रखना चाहिएये वे अनुभव रहित होते हैं। अतः भटक सकते हैं। शिक्षिकाओं ने कहा कि परिवार के परम्परागत मूल्यों में परिवर्तन हुआ है। परिवर्तित मूल्य आंशिक रूप से उपयोगी है। वे केवल उपयोगी मूल्यों को ग्रहण करना पसंद करते हैं। शिक्षिकाओं का मानना है कि बच्चों का उचित पालन–पोषण तभी संभव है, जबकि पति–पत्नी बच्चों की संख्या सीमित रखें।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. धर्मवीर भारती : मानव मूल्य और साहित्य, भारतीय ज्ञानपीठ, नई दिल्ली ।
2. देवराज दर्शन धर्म : अध्यात्म और संस्कृति, भारतीय ज्ञानपीठ, नई दिल्ली, वर्ष, 2003.

*****